न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 34/2010 आवंटन नियम 14(4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

प्रभात पुत्र नानगराम जाति कुम्हार निवासी धर्मपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 28.12.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बिशनपुरा द्वारा दिनांक 25.06.1992 को ग्राम धर्मपुरा तहसील दौसा के आ0ख0नं0 721 रकबा 0.13 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी प्रभात को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बिशनपुरा द्वारा अप्रार्थी प्रभात पुत्र नानगराम जाति कुम्हार निवासी धर्मपुरा को दिनांक 25.06.1992 को ग्राम धर्मपुरा तहसील दौसा के आ0ख0नं0 721 रकबा 0.13 है0 भूमि का आवंटन किया गया था, किंतु अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य होने अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बिशनपुरा द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 25.06.1992 को ग्राम धर्मपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 721 में से 0.13है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि में संवत 2063 व 2064 में बाजरा व मोंठ की फसल बुवाई की गई है। साथ ही संवत 2065 में भूमि पडत होना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र 14(4) के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना व्यक्त किया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बिशनपुरा द्वारा दिनांक 25.06.1992 को

अप्रार्थी प्रभात पुत्र नानगराम जाति कुम्हार निवासी धर्मपुरा को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम धर्मपुरा की बैठक दिनांक 25.06.1992 द्वारा ग्राम धर्मपुरा में अप्रार्थी(आवंटी) के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। निर्णय की छाया प्रति जिला अभिलेखागार, कलैक्ट्रेट दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 28 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा